

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

संख्या-1/श्रम वि०ई० 8-8009/2015 श्र०सं०...../ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 4685 दिनांक 27.6.2003 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारी डॉ० मणिपाल चौधरी को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.9.99 से वेतनमान ₹ 10,000-15,200/- में प्रथम वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम 8 (1) के अनुसार किया जाएगा। वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम 22(1) (ए) (i) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

3. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-


(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई० 8-8009/2015 श्र०सं० **275**...../ पटना, दिनांक-**28.3.16**

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना एवं मुजफ्फरपुर/अधिसूचना में नामित सम्बन्धित बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4685 दिनांक 27.6.03 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत करें।


सरकार के अपर सचिव।
28/3/16